तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में रास्ते के संवंध में जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में वहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता आत्यान्तिक आवश्यक नही हैं क्योकि प्रार्थीगण के परिवारजन (पुत्र) की खातेदारी भूमि व आवासीय कॉलोनी (नगर पालिका नीमकाथाना) की खातेदारी भूमि MDR रोड़ नीमकाथाना से शाहपुरा रोड़ पर स्थित हैं तथा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का नही हैं क्योकि वर्तमान में प्रार्थीगण के परिवारजन (पुत्र) की खातेदारी भूमि से मात्र 65 मी0 लम्बाई का रास्ता निकालना/बनाना हैं जो परिवारजन द्वारा संपरिवर्तित करवाई गयी आबादी भूमि को जोड़ देगा। प्रस्तावित रास्ता की लम्बाई 212 मी0 आती हैं जो नजरी नक्शे में प्रस्तावित दूरी से अधिक हैं। साथ ही स्वयं की (परिजन) भूमि को बचाते हुए गलत रास्ता प्रस्तावित किया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. एक्ट तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाने योग्य नही पाया जाने पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 16:12:06 IST
Reason: SelfAttested